

## खनजि अन्वेषण क्षेत्र का सुदृढीकरण

स्रोत: पी.आई.बी

### चर्चा में क्यों?

खान मंत्रालय ने [राष्ट्रीय खनजि अन्वेषण ट्रस्ट \(NMET\)](#) की छठी शासी निकाय बैठक में इसके प्रदर्शन की गहन समीक्षा की

- बैठक के दौरान वर्ष 2023-24 के लिये **NMET की वार्षिक रिपोर्ट** आधिकारिक तौर पर जारी की गई।

### प्रमुख घटनाक्रम क्या हैं?

- **NGDR पोर्टल का उन्नयन:** राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक डेटा भंडार (NGDR) पोर्टल का उन्नयन आरंभ किया गया।
  - इसका उद्देश्य राष्ट्र के लाभ के लिये **भूवैज्ञानिक डेटा साझाकरण** हेतु नरिबाध सहयोग को सुवर्धित बनाना है।
- **प्रतपूरता योजनाएँ:** अन्वेषण व्यय की आंशिक प्रतपूरता के लिये एक संशोधित योजना को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत **समग्र लाइसेंस (CL)** धारकों के लिये प्रतपूरता की अधिकतम सीमा बढ़ाई गई है।
- **वामपंथी उग्रवाद प्रभावित ज़िलों और स्टार्ट-अप हेतु सहायता:** NMET **वामपंथी उग्रवाद** से प्रभावित ज़िलों में फील्डवर्क के लिये **मानक शुल्क अनुसूची** से 1.25 गुना अधिक शुल्क प्रदान करके खनजि अन्वेषण को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है।
- **महत्त्वपूर्ण और सामरिक खनजि अन्वेषण हेतु प्रोत्साहन:** **महत्त्वपूर्ण और सामरिक खनजि** की खोज में लगी एजेंसियों के लिये 25% अन्वेषण प्रोत्साहन की घोषणा की गई है।
- **राज्य स्तरीय खनजि अन्वेषण को प्रोत्साहित करना:** राज्यों को लघु खनजि के अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिये NMET के समान राज्य खनजि अन्वेषण ट्रस्ट स्थापित करने की सलाह दी गई।
- **स्टार्ट-अप और उभरती प्रौद्योगिकियों पर ध्यान:** खन क्षेत्र में विशेष रूप से **AI**, ऑटोमेशन और ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में स्टार्ट-अप स्थापित करने के महत्त्व पर ज़ोर दिया गया।

### अपतटीय खनजि अन्वेषण और उत्पादन को बढ़ावा देने के नयिम

- **परिचय:** केंद्र ने **अपतटीय क्षेत्र खनजि ट्रस्ट नयिम, 2024** पेश किया है। यह भारत के अपतटीय क्षेत्रों में खनजि अन्वेषण और उत्पादन की देखरेख करने वाला पहला ढाँचा है।
  - अपतटीय क्षेत्र का तात्पर्य प्रादेशिक जल, महाद्वीपीय शेल्फ, अनन्य आर्थिक क्षेत्र तथा **प्रादेशिक जल, महाद्वीपीय शेल्फ और अनन्य आर्थिक क्षेत्र** के अंतर्गत भारत के अन्य समुद्री क्षेत्रों से है।
  - नये नयिमों के तहत **अपतटीय खदानों के उत्पादन पट्टे धारकों को सरकार को अपने रॉयल्टी भुगतान का 10% देकर अपतटीय क्षेत्र खनजि ट्रस्ट में योगदान करना आवश्यक है।**
  - यह राशि भारत के सार्वजनिक खाते में जमा की जाएगी, जिससे ट्रस्ट की पहलों के लिये वित्तीय आधार उपलब्ध होगा।
- **अपतटीय क्षेत्र खनजि ट्रस्ट:** यह एक कोष है, जो **अपतटीय खनजि संसाधनों** से उत्पन्न राजस्व का प्रबंधन एवं आवंटन करने के लिये स्थापित किया गया है, ताकि सतत् विकास सुनिश्चित हो सके और खनजि अन्वेषण तथा उत्पादन को बढ़ावा मिले।

### राष्ट्रीय खनजि अन्वेषण ट्रस्ट (NMET)

- **स्थापना:** NMET की स्थापना **खान एवं खनजि (विकास एवं वनियमन) अधिनियम, 1957** की धारा 9सी के तहत की गई थी, जिसका उद्देश्य भारत में खनजि अन्वेषण में तीव्रता लाना है।
- **उद्देश्य:** यह ट्रस्ट देश में **क्षेत्रीय एवं वसित खनजि अन्वेषण तथा शासी निकाय** द्वारा अनुमोदित अन्य गतिविधियों का समर्थन करता है। इसके उद्देश्यों में शामिल हैं:
  - गहरे और छपि हुए खनजि भंडारों की पहचान, अन्वेषण, नषिकर्षण, लाभकारी तथा परशोधन के लिये विशेष अध्ययन एवं परियोजनाएँ
  - उन्नत वैज्ञानिक और तकनीकी प्रक्रियाओं को अपनाते हुए खनजि विकास, सतत् खनन, खनजि नषिकर्षण तथा धातु विज्ञान पर अध्ययन

- **शासन संरचना:** NMET की दो-स्तरीय संरचना है
  - **शासी निकाय:** यह सर्वोच्च निकाय है, जिसकी अध्यक्षता खान मंत्री करते हैं। यह ट्रस्ट का समग्र नियंत्रण रखता है
  - **कार्यकारी समिति:** खान मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता वाली कार्यकारी समिति इसकी गतिविधियों का प्रशासन और प्रबंधन करती है
- **वित्त पोषण तंत्र:** NMET फंड ट्रस्ट की गतिविधियों को लागू करने के लिये स्थापित किया गया है।
  - फंड को खनन पट्टों या पूर्वेक्षण लाइसेंस-सह-खनन पट्टों के धारकों से योगदान प्राप्त होता है, जो MMDR अधिनियम, 1957 के अनुसार भुगतान की गई रॉयल्टी का 2% होता है।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

**??????????:**

**Q. भारत के संदर्भ में निम्नलिखित केंद्रीय अधिनियमों पर विचार कीजिये। (2011)**

1. आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947
2. खनन और खनजि विकास (वनिियमन) अधिनियम, 1957
3. सीमा शुल्क अधिनियम, 1962
4. भारतीय वन अधिनियम, 1927

**उपर्युक्त में से कौन-सा अधिनियम देश में जैव विविधता संरक्षण से संबंधित है?**

- (a) केवल 1 और 3
- (b) केवल 2, 3 और 4
- (c) 1, 2, 3 और 4
- (d) उपर्युक्त में से कोई भी अधिनियम नहीं

**उत्तर: (c)**